

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 09 जिलों की 18 नगरीय निकायों में उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया (प्रति संलग्न) है। अतः मतदान दिवस दिनांक 26.07.2021 (सोमवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), अजमेर, भरतपुर, चूरु, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, पाली को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही उपचुनाव की स्थिति में भी जहां उपचुनाव होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु सम्बंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेश सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/ 3319

दिनांक : 22.07.21

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अजमेर, भरतपुर, चूरु, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव